इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2025—भाद्र 12, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025

क्र. 8488—151—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक २ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ के निरसन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) अधिनियम, २०२५ है.

निरसन और व्यावृत्तियां.

२. (१) मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २६ सन् १९७६) निरसित किया जाता है.

(२) इस अधिनियम द्वारा निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई कोई बात पर प्रभाव नहीं डालेगा, या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व पर, या उपरोक्त किसी बाध्यता या दायित्व के संबंध में की गई कोई विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसी कोई विधिक कार्यवाही या उपचार जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे, मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025

क्र. 8488–151–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 16 OF 2025

THE MADHYA PRADESH SAMAJ KE KAMJOR VARGON KE LIYE VIDHIK SAHAYATA TATHA VIDHIK SALAH (NIRSAN) ADHINIYAM, 2025

[Received the assent of the Governor on the 2nd September, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd September, 2025.]

An Act to repeal the Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adhiniyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah (Nirsan) Adhiniyam, 2025.

Repeal and Savings.

2.(1) The Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adhiniyam, 1976 (No. 26 of 1976) shall be repealed.

(2) The repeal by this Act shall not affect the previous operation of the Act so repealed or anything duly done or suffered thereunder, or any obligation or liability accrued or incurred under the Act so repealed, or any legal proceeding or remedy in respect of any such obligation or liability, as aforesaid, and any such legal proceeding or remedy may be continued or enforced as if this Act had not been passed.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.